



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्टर कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
दुर्लभ; ज्ञात; कृषि; निगम; बीज-
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsf@gmail.com

No. : - SRG/Agri/28/2015-16/-1973

Dated: - 12.05.2015

केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ में ठेके पर बीजोत्पादन हेतु निविदा सूचना

सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के चक 51 ए व 51 बी पीबीएन (534.00 एकड़ सिंचित क्षेत्र) को ठेके के माध्यम से कृषि फसलों (खरीफ 2015 व रबी 2015-16 की फसलों) के बीज उत्पादन हेतु इच्छुक निविदादाताओं से एक वर्ष जून 2015 से 31 मई 2016 तक देने के लिये निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में फार्म के कृषि कार्यालय से रु. 500/- नकद शुल्क जमा कर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है परन्तु निविदा शुल्क की निर्धारित राशि रु. 500/- निविदा देते समय साथ में संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। अमानत राशि का डी.डी. रु. 5,00,000/- (रु. पाँच लाख मात्र) जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सरदारगढ़, के नाम से सूरतगढ़ में देय हो, दिनांक 02.06.2015 को सायं 03.00 बजे तक जमा कराना होगा व निविदाएं सायं 3.30 बजे उसी दिन निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा के साथ पैनकार्ड, राशनकार्ड व वोटर आई.डी. या आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

दिनांक 02.06.2015 को निविदाएं अस्वीकृत होने पर, निविदाएं पुनः दिनांक 05.06.2015 को पूर्वनिर्धारित समय सायं 3:00 बजे तक आमंत्रित होगी। जिसकी नियम एवं शर्तें पूर्व की भांति रहेगी। निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.15 बजे तक कृषि कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रबंधक (उत्पादन)
कृते प्रभारी निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ार्मिंग)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फ़ैक्स- 011- 25846462
दूरभाष: 011- 25846462
फ़ैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsf@nsc.gov.in, agricsf@nsc.gov.in

निविदा प्रपत्र

ठेके के माध्यम से केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ जिला श्री गंगानगर की चक नं.51ए व 51 बी पीबीएन 534.00 एकड़ जमीन पर बीज उत्पादन के लिये दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

ठेके की अवधि एक वर्ष (जून 2015 से 31 मई 2016 तक)

क्र.सं.	फसल सीजन	फसल का नाम	चक/एरिया (एकड़ में)	दर प्रति एकड़ प्रतिवर्ष रुपये में(अंको व शब्दों में लिखे)	
				भूसा सहित	भूसा रहित

धरोहर राशि रुपये डी.डी. नं. दिनांक बैंक

निविदादाता का नाम

पूरा पता

फोन नं.

पेन नं. (प्रतिलिपि सहित)

वोटर आईडी (प्रतिलिपि सहित)

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि हम/हमारी फर्म निविदा की नियमों व शर्तों से सहमत है, जो कि मैंने स्वयं पढ़ ली हैं तथा समझ ली हैं। मेरी पूर्ण सहमति है इसलिए हस्ताक्षर कर निविदा प्रेषित है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पता

.....
.....
.....
.....
.....



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्री कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] I jnkjx< %jkt-%
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsf@gmail.com, agricsf@gmail.com

न्यूनतम उपज सीमा

क्रम सं.	चक नं.	फसल का नाम/एरिया	फार्म द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपज सीमा प्रति एकड़ (क्विंटल में)
	51ए/बी पीबीएन		
	खरीफ 2015	धान – 200.00 एकड़	16.00
		उड़द – 259.00 एकड़	3.00
		ग्वार – 75.00 एकड़	3.00
	कुल क्षेत्र	534.00 एकड़	
	रबी 2015–16	सरसों – 75.00 एकड़	5.00
		जई – 34.00 एकड़	5.00
		गेहूं – 250.00 एकड़	14.00
		जौ – 100.00 एकड़	12.00
		चना – 75.00 एकड़	3.20
	कुल क्षेत्र	534.00 एकड़	

निविदादाता के हस्ताक्षर

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ भूमि पर ठेके के माध्यम से बीज उत्पादन कार्यक्रम की नियम व शर्तें

1. फार्म भूमि पर बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु ठेके की अवधि एक वर्ष जून 2015 से 31 मई 2016 तक अथवा रबी 2014-15 फसल से जमीन खाली होने से आगे रबी 2015-16 फसल खाली होने तक रहेगी। एक वर्ष में खरीफ व रबी की फसल उगाई जायेगी।
2. ठेकेदार को फार्म पर बीज उत्पादन हेतु पूरा चक/चकों की जमीन का उपयोग करने का अधिकार एक वर्ष के लिए ही होगा। ठेकेदार को केवल बीज उत्पादन के लिये निर्धारित चक/एरिया को काम में लेना होगा। चक/एरिया पर सदैव फार्म का ही हक होगा। ठेके की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ठेकेदार का वह वर्तमान ठेका स्वतः रद्द हो जायेगा।
3. फार्म का चक/जमीन जहां है जैसी है उसी स्थिति में आऊटसोर्सिंग के माध्यम से बीज उत्पादन कार्य के लिये दी जायेगी। निविदा पश्चात् ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा की मांग मान्य नहीं होगी। ठेके पर लिये गये चक/जमीन के लिये निर्धारित नहर का मोघा (आऊटलेट) उसी में उपयोग के लिये रहेगा। यदि चक पर ट्यूबवैल आदि साधन है तो ठेकेदार सिंचाई के लिये अपने स्वयं के संसाधन एवं खर्च से उसका उपयोग फसल सिंचाई हेतु कर सकेगा।
4. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत फार्म की जमीन पर बीजोत्पादन की दर अनुसार एक वर्ष के ठेके के लिये जितनी राशि निश्चित होगी तीन किश्तों में निम्न प्रकार जमा करानी होगी।
 1. पहली किश्त (कुल निश्चित धनराशि का 1/3) ठेका स्वीकृति के तुरन्त बाद 7 दिन के अन्दर जमा करानी होगी।
 2. दूसरी किश्त (कुल निश्चित धनराशि का 1/3) 31 अक्टूबर 2015 तक जमा करानी होगी।
 3. तीसरी किश्त (कुल निश्चित धनराशि का 1/3) 31 मार्च 2016 तक जमा करानी होगी।

निर्धारित तिथि के तीन दिन के अन्दर देय किश्त का भुगतान ठेकेदार द्वारा न देने पर निर्धारित तिथि के बाद 18% की दर से ब्याज देय होगा। यदि निर्धारित तिथि के उपरांत एक माह तक ब्याज समेत देय धनराशि ठेकेदार द्वारा जमा नहीं की जाती है तो ठेकेदार की पूर्व में जमा समस्त राशि जब्त कर ठेके को निरस्त किया जा सकता है।
5. निविदा दर स्वीकृति के बाद कार्य आदेश (Work Order) जारी किया जायेगा, जिसके जारी होने के सात दिवस के अन्तर्गत प्रथम किश्त की पूर्ण राशि ठेकेदार द्वारा जमा करवानी होगी तथा बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु संविदा (एग्रीमेन्ट) जो कि रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशिल स्टाम्प पेपर पर करना होगा जिसका खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। संविदा की मूल प्रति निगम के पास ही रहेगी तथा प्रमाणित प्रति ठेकेदार को दी जाएगी।
6. निविदा में भाग लेने हेतु धरोहर राशि रु. 5,00,000/- (रु. पांच लाख मात्र) निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ, के नाम और सूरतगढ में देय हो, जमा कराना होगा। निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि चैक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। सफल ठेकेदार की धरोहर राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित किया जायेगा। सुरक्षा राशि स्वीकृत निविदा की कुल राशि का 3 प्रतिशत होगी, जो ठेके के अन्तर्गत समस्त कार्य सन्तोषजनक पूर्ण होने पर बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। यदि सुरक्षा राशि धरोहर राशि से कम रहती है तब ऐसी स्थिति में पूर्ण धरोहर राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।

7. ठेकेदार द्वारा खरीफ 2015 रबी 2015-16 हेतु दरें एक वर्ष (जून 2015 से 31 मई 2016) के लिये प्रति एकड़ की दर संयुक्त रूप से दी जायेगी। ठेकेदार द्वारा प्रति एकड़ दर पूरे एक वर्ष (जून 2015 से 31 मई 2016) के लिये घास, भूसा सहित व रहित अलग-अलग स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
8. फसल कटाई के उपरान्त पशु भेड़ बकरी चराई से जो आय प्राप्त होगी वह फार्म की होगी।
9. फार्म से ठेकेदार द्वारा ली गयी जमीन पर फसल/प्रजाति क्षेत्र का निर्धारण फार्म द्वारा होगा जिसमें खरीफ— धान, कपास, मूंग, उड़द, ग्वार आदि तथा रबी में गेहूँ, जौ, जई, सरसों आदि फसलें होगी।
10. आधार/प्रजनक/प्रमाणित बीज फार्म द्वारा निर्धारित दर पर नकद **भुगतान** पर ठेकेदार को दिया जायेगा।
11. ठेकेदार को आवंटित क्षेत्र में बीज उत्पादन हेतु पूरा इनपुट जैसे खाद, दवाई, श्रमिक, मशीन उपकरण आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर व खर्च से करनी होगी।
12. फार्म से कृषि उपकरण/मशीनरी देने या न देने का निर्णय फार्म का होगा। यदि फार्म का कृषि उपकरण/मशीनरी उपयोग में आयी तो उसका निर्धारित किराया जमा करना होगा।
13. ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित चक पर स्थित चल/अचल समस्त परिसम्पत्ति बाबत एक हलफनामा (अंडरटेकिंग) देना होगा कि विभागीय जमीन/पेड़ आदि सम्पत्ति का व्यावसायिक उपयोग नहीं करेगा और किसी भी सम्पत्ति का ह्रास या नुकसान होने की स्थिति में उसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा की जायेगी।
14. पानी की नालियों/खाला/नहर आदि की सफाई ठेकेदार को स्वयं के खर्च से करनी होगी।
15. बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिये नियमानुसार पृथक्करण दूरी, रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ठेकेदार को ही अपने खर्च से करनी होगी।
16. बीज फसलों के प्रमाणीकरण प्रक्रिया में निरस्त होने के कारण तथा उत्पादित बीज के जमाव आदि में निरस्त होने के कारण फार्म को होने वाले नुकसान की भरपाई ठेकेदार द्वारा की जाएगी।
17. समस्त कृषि कार्य यथा खेत की तैयारी, बुआई, रोगिंग, खाद, दवाई छिड़काव, निराई, फसल कटाई, थ्रैसिंग, पंखे से सफाई, बोरियों में भरना तथा तुलाई आदि कार्य फार्म प्रतिनिधि की देखरेख/निर्देशानुसार करने होंगे। पंखा व बारदाना फार्म द्वारा दिया जाएगा।
18. खेती से सम्बंधित समस्त प्रकार के खर्च जो बीज उत्पादन पर होंगे, वह ठेकेदार द्वारा वहन किये जायेंगे।
19. बीज उत्पादन कार्यक्रम में बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस फार्म द्वारा वहन की जायेगी।
20. फार्म का चक/जमीन ठेके पर लेने के उपरान्त किसी भी कारण अथवा परिस्थितिवश यदि फसल नहीं हो पाती है तो फार्म की जिम्मेदारी नहीं होगी।
21. ठेकेदार को दी गयी चक/जमीन की सीमा में उगायी गयी फसल, पेड़ व अन्य समस्त सम्पत्ति की सुरक्षा, ठेकेदार द्वारा स्वयं के स्तर व खर्च पर की जायेगी।
22. फसल के कम या अधिक पैदावार पर ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। फार्म द्वारा **निश्चित** की गयी न्यूनतम उत्पादन सीमा से प्रत्येक फसल में कम उत्पादन आने की स्थिति में कम उत्पादन की भरपाई ठेकेदार द्वारा की जाएगी। **इस कम उत्पादन का आंकलन फार्म कमेटी द्वारा किया जायेगा।** न्यूनतम उत्पादन सीमा धान—16.0 क्विंटल प्रति एकड़, उड़द—3.00

क्विंटल प्रति एकड़, ग्वार—3.0 क्विंटल प्रति एकड़, सरसों—5.0 क्विंटल प्रति एकड़, चना— 3.20 क्विंटल प्रति एकड़, जई— 5.00 क्विंटल प्रति एकड़, गेहूँ—14.0 क्विंटल प्रति एकड़ तथा जौ—12.00 क्विंटल प्रति एकड़।

23. विधायन के उपरान्त अण्डरसाईज बीज फार्म का होगा।
24. ठेकेदार द्वारा अपने लिये कोई अन्य फसल उक्त जमीन पर नहीं बोई जायेगी।
25. ठेकेदार द्वारा फार्म की जमीन पर उत्पादित रा बीज की राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा निश्चित समर्थित मूल्य पर साफ रॉ बीज की मात्रा पर किया जायेगा। यदि किसी फसल का समर्थित मूल्य निश्चित नहीं होगा तब उस स्थिति में निर्धारित स्थानीय मण्डी में अधिकतम बीज आवक की निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बंधित उत्पाद के आवक का अधिकतम मूल्य के औसत के आधार पर रॉ बीज का भुगतान किया जायेगा, जिसका समय इस प्रकार होगा:— धान— 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक, उड़द, मूंग व ग्वार — 1 से 31 अक्टूबर, सरसों — 16 मार्च से 15 अप्रैल, गेहूँ व जई — 11 अप्रैल से 10 मई तथा जौ — 25 मार्च से 24 अप्रैल होगा। यदि सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त बोनस दिया जाता है तो वह फार्म द्वारा देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त बीज उत्पादन हेतु निम्न प्रकार से प्रीमियम देय होगा :—

उपरोक्तानुसार निश्चित किये रॉ—सीड के मूल्य का विधायन उपरान्त प्राप्त बीज मात्रा पर

- | | |
|--|-------------|
| 1.— न्यूक्लियस बीज से प्रजनक बीज उत्पादन | 10 % |
| 2.— प्रजनक बीज से आधार्रीय बीज उत्पादन | 7 % |
| 3.— आधार्रीय बीज से प्रमाणित बीज उत्पादन | 5 % |

उपरोक्त प्रीमियम का भुगतान संतोषजनक बीज परीक्षण रिपोर्ट/ग्रो आऊट टेस्ट आने के उपरान्त किया जाएगा।

26. ठेकेदार को फार्म द्वारा रॉ—सीड के भुगतान की अवधि निम्न प्रकार रहेगी:—
 - (1.) कुल रॉ—सीड की कीमत का 80 प्रतिशत भुगतान रॉ—सीड के फार्म गोदाम पर सही स्थिति में जमा करने पर 30 दिन के अन्दर किया जायेगा।
 - (2.) शेष 20 प्रतिशत रॉ—सीड की राशि व बीज पर दिये जाने वाले प्रीमियम का भुगतान बीज परीक्षण की संतोषजनक रिपोर्ट के पश्चात् 15 दिन के अन्दर किया जायेगा।
27. ठेकेदार को फसलों की बुवाई—कटाई आदि कार्य निर्धारित समय में अपने खर्च से करना होगा।
28. ठेकेदार द्वारा लगाये गये व्यक्तियों/श्रमिकों की सूची नाम, पते व नमूना हस्ताक्षर/अंगूठा निशान सहित ठेकेदार को फार्म कार्यालय में जमा करनी होगी।
29. ठेकेदार अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के निजी सामान, उपकरण, वाहन आदि की चोरी, क्षति या डकैती आदि के लिए निगम जिम्मेवार नहीं होगा।
30. ठेके के दौरान यदि किसी भी प्रकार की जन—धन हानि व दुर्घटना होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
31. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मियों/व्यक्तियों की अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के लिए ठेकेदार खुद जिम्मेदार होगा। ठेकेदार द्वारा अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि निगम कर्मचारी से किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की जाती है तो निगम ठेकेदार के विरुद्ध समुचित कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

32. टीडीएस, ईपीएफ व अन्य वैधानिक दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वहन किये जायेंगे।
33. यदि किसी चक में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/थेड़ी है तो ठेकेदार द्वारा उक्त क्षेत्र से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी तथा कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की जाएगी।
34. ठेकेदार द्वारा ठेके पर लिये गये चक/एरिया को सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
35. ठेकेदार व निगम के बीच में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामला आर्बिट्रेशन हेतु अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित/मनोनित व्यक्ति के द्वारा किया गया निर्णय दोनों पक्षों पर अन्तिम व मान्य होगा एवं उसके बाद किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सूरतगढ़ होगा।
36. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निदेशक को निरस्त करने का अधिकार होगा।
37. ठेकेदार ने यह बात भली-भांति समझ ली है कि उपरोक्त कार्य हेतु आऊटसोर्सिंग की जाने वाली गतिविधियों को सम्पन्न करने हेतु जो भूमि फार्म द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी, उसके बारे में वह किसी भी व्यक्ति, संस्था व प्राधिकरण को अपना झूठा हक बताकर सम्बन्धित जमीन का रेहन, गिरदावरी इत्यादि नहीं करेगा। यदि ठेकेदार ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

प्रबंधक (उत्पादन)
कृते प्रभारी निदेशक

केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर ठेके द्वारा बीज उत्पादन कराने के लिये प्रस्तावित चकों का एरिया (कृषि भूमि) सहित विवरण:-

क.सं.	ब्लॉक	चक का नाम/नं.	एरिया एकड़ में
1	5	51ए/51बी	534.00 एकड़